न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 89/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/ 96)

1. कुलदीप पुत्र सुभाष
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र बलवंत

जाति जाट निवासी चक 11 डी पी एन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कमलेश पुत्री महीपाल सिह पत्नी तथाकथित नाम कुरड़ाराम नेहरा जाति जाट निवासी वार्ड नं. 25, शिवपुरा बास, भादरा जिला हनुमानगढ। (आवश्यक पक्षकार)
2. अशोक कुमार पुत्र बलवंत
3. होशियार सिह पुत्र भीमसिह
4. विकास पुत्र भीमसिह
5. प्रदीप पुत्र सुभाष

जाति जाट निवासी चक 11 डी पी एन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (प्रफोर्मा पक्षकार)

6. सुभाष पुत्र महीपाल सिह
7. मोहिनी देवी पत्नी भीमसिह
8. ममता पुत्री भीमसिह

जाति जाट निवासी चक 11 डी पी एन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (औपचारिक पक्षकार)

9. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व, नोहर जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री लक्ष्मीनारायण सिहाग –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 8
3. श्री महेश सुथार –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2,5,6

निर्णय **दिनांकः 28.03.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ) प्रकरण संख्या 26/2022 के निर्णय दिनांक 28.06.2024 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ) प्रकरण संख्या 26/2022 अनवान कमलेश बनाम अशोक कुमार के निर्णय दिनांक 28.06.2024 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर निर्णय दिनांक 28.06.2024 को निरस्त फरमाया जाकर न्यायालय उप तहसीलदार रामगढ का निर्णय दिनांक 24.01.2022 को बहाल करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं. 2, 5, 6 के अभिभाषक बहस के दौरान उपस्थित नही हुवे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि जैर अपील रकबा वाके रोही मौजा चक 11 डी पी एन खाता संख्या 53/57 कुल तादादी 6.5510 हेक्टयर भूमि मे से 259 हिस्सा की वसीयत अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 ता 5 के पक्ष में खातेदार महीपाल सिह पुत्र हंसराज जाट द्वारा दिनांक 22.08.2013 को तहरीर व तकमील करवाई हुई है जो वसीयतकर्ता को खातेदार छोटा देवी पत्नी धुडाराम जाट से जरिये वसीयत मिली थी। छोटा देवी ने उक्त भूमि जरिये बैयनामा हनुमानसिह पुत्र सवाईसिह से दिनांक 23.03.1999 को खरीद की थी। इस प्रकार उक्त भूमि वसीयतकर्ता महीपालसिह की स्वअर्जित है, के आधार पर प्रथम न्यायालय उप तहसीलदार रामगढ द्वारा दिनांक 24.01.2022 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 5 के नाम से नामान्तरकरण दर्ज के आदेश जारी किये गये। इसकी पालना में इन्तकाल संख्या 518 स्वीकृत हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर प्रथम अपील पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई रिकार्ड का अवलोकन किये, बिना मियाद के बिन्दु को निर्णित किये विधिविरूद्व तरीके से जैर अपील आदेश दिनांक 28.06.2024 के जरिये प्रथम न्यायालय उप तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 24.01.2022 को निरस्त कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपील जैर रकबा महीपालसिह को अपनी मौसी छोटी देवी से वसीयत के जरिये प्राप्त होकर महीपालसिह के नाम रिकार्ड में दर्ज हुई है। महीपालसिहह ने अपने उक्त रकबा अपने पौत्र अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स 2 ता 5 को जरिये वसीयत दिनांक 22.08.13 को दे दिया है। जिसमे उन्होने अपने परिवार के सदस्यो का गवाह बनाया है। महीपालसिह का स्वर्गवास दिनांक 19.08.2020 को होने जाने से उपरोक्त वसीयत दिनांक 22.08.13 प्रभाव मे आ गई। उक्त वसीयत के आधार पर उप तहसीलदार रामगढ के समक्ष इन्तकाल दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर दैनिक अखबार सीमा सन्देश मे दिनाक 21.12.2021 को सूचना प्रकाशित की गई। जिसमे किसी भी पक्ष द्वारा कोई भी आपत्ति पेश नही होने पर विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर दिनांक 24.01.2022

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को वसीयत के आधार पर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स सं. 2 ता 5 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया, जिसका इन्तकाल सं. 518 दिनांक 21.06.23 दर्ज किया गया। निर्णय दिनांक 24.01.2022 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अति. जिला कलक्टर नोहर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जो लगभग 4 माह 6 दीन मियाद बाहर पेश की गई थी, जिसके बाबत अपील मीमो मे कही भी देरी से अपील दायर करने का कारण स्पष्ट नही किया गया है। जबकि विधि अनुसार उक्त का अभिवचन अपील मे किया जाना आवश्यक है। अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का आदेश दिनांक 28.06.24 मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 कमलेश द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई जिसमें जैर अपील रकबा पैतृक / पुश्तैनी बताया है, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद ही नही है। रकबा पुश्तैनी तब होता जब महीपालसिह को उक्त जमीन अपने पिता से विरासतन से प्राप्त होती। रेस्पोडेन्ट सं. 1 कमलेश ने वसीयत के आधार पर उप तहसीलदार रामगढ द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के न्यायालय मे चेलेज किया है, जबकि वसीयत की वैधता जाचने का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को ही प्राप्त है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 कमलेश ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपील मे धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र भी पेश अपील के साथ नही किया है जो अपील के साथ दायर करना आवश्यक था। महीपालसिह द्वारा तहरीर व तकमील वसीयत दिनांक 22.08.2013 से उनके सभी पारिवारिक सदस्य सहमत है, परन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 1 कमेलश जो महीपालसिह के जीवन काल से ही उनसे नाराज रहती थी, ने जानबुझकर अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 5 को नुकसान पहुचाने व तंग परेशान करने की गर्ज से झूठे तथ्यो पर आधारित अपील पेश कर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर से जैर अपील निर्णय दिनांक 28.06.2024 को पारित करवाया है जिसे निरस्त फरमया जाकर, न्यायालय उप तहसीलदार रामगढ के निर्णय दिनांक 24.01.2022 को बहाल घोषित किया जावे। हर्जा–खर्चा अपील का रेस्पोडेन्ट सं. 1 से अपीलान्ट्स को दिलाया जावे। अपीलान्ट के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2023 (2) पेज 1362, RRT 2022–23 (SUPP), पेज 22, RRT 2022–23 (SUPP), पेज 487, RRT 2003 (1) पेज 651, RRT 2006–07 (SUPP), पेज 59–277, RRT 2003(2) पेज 870, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 8 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि महीपालसिह पुत्र हंसराज की गांव चाहरवाला जिला सिरसा हरियाणा मे पैत्रिक कृषि भूमि में हिस्सा सभी वारिसो का होने से उस भूमि की विक्रय कीमत मे सभी वारिसो का हिस्सा होने से चाहे वह धनराशि का उपयोग किसी रूप मे महिपालसिह द्वारा किया गया हो। छोटी देवी पत्नी घूड़ाराम के नाम उक्त क्रय की, उस समय उसकी आयु 98 वर्ष थी, क्रय राशि का उम्र दराज महिला द्वारा व्यवस्था करने का आधार संदेह में भी है उसका खुद का परिवार मे बहुत सदस्य है उनके नाम से भूमि क्रय नही करना का पर्याप्त कारण नही दर्शाना व बाद मे अपने भान्जे महिपाल सिह के नाम वसीयत करवा देना जबकि खुद के परिवार मे बहुत सदस्य है। तृतीय व्यक्ति के नाम इतनी कीमतन भूमि का वसीयत करवा देना खून से गाढा पानी नही हो सकताः– जेसा कि ए आई आर 1962 पेज 567 सु । साफ जाहिर है कि हरियाणा की भूमि महिपालसिह द्वारा बेचकर उक्त जरिये राजस्थान में भूमि ली गयी है पैत्रक भूमि के स्त्रोत से अर्जित संपत्ति पैत्रिक ही मानी जायेगीं। उप तहसीलदार रामगढ द्वारा विधिवत प्रक्रिया नही अपनायी गयी केवल लोकल सामाचर पत्र में प्रकाशन करवाया जो आमजन तक नही पहुचता है, उस प्रकाशन को सूचना पर्याप्त मान लेना घोर त्रुटि कारित की है। जेसा कि ए आई आर 1982 पेज 133 सु. को । वादगत भूमि बाबत प्राबेट की मंजूरी आवश्यक थी जेसा कि ए आई आर 1996 पेज 40 राज. एच सी। छोटी देवी की उम्र से मानसिक स्थिति संदेह में थी साफ जाहिर कि 98 वर्ष की उम्र दराज महिला थी जेसा कि ए आई आर 1977 पेज 63 सु. को। पैत्रिक संपति की सहायता से संपति का अर्जन पैत्रिक व संयुक्त परिवार की संपति मानी जायेगी जेसा कि जे एल जे 1985 पेज 533 सु को 2002 पार्ट 1 बरेट सिविल केसेजज पेज 172। मियाद का बिन्दु यहा गौण है क्योकि उप तहसीलदार रामगढ के निर्णय प्रकरण में

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 8 पक्षकार नही थे जो अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर नही बनाये गये। ज्ञान दिवस से जो नकल दिनांक ही मानी जायेगी। उच्चतम न्यायालय भारत द्वारा मियाद एक प्रक्रिया है न किसी का राईटस समाप्त करने के लिए। अतः लिखित बहस पेश कर अर्ज है कि उपरोक्त अपील भारी खर्चे से खारिज फरमाई जावे व प्रथम अपीलेट कोर्ट का निर्णय दिनांक 28.06.2024 यथावत रखा जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 28.06.2024 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2024 को निरस्त कर उप तहसीलदार रामगढ का निर्णय दिनांक 24.01.2022 को बहाल करने का निवेदन किया गया है। इस प्रकरण में मुख्य विवाद वसीयत बाबत है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि को पैतृक होना माना है जबकि उक्त भूमि स्वंय वसीयत कर्ता को भी वसीयत से ही प्राप्त हुई है व उसी भूमि को उन्होने नें अपीलान्ट्स को वसीयत किया है, इसलिए भूमि पैतृक नही मानी जा सकती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.2024 को खारिज किया जाता है। उप तहसीलदार रामगढ का निर्णय दिनांक 24.01.2022 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर